राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :– 15/2022

निर्णय दिनांक :– 30/9/2022

प्रार्थीगण :–

1. पूराराम पुत्र सरूपराम आयु–वयस्क जाति–सरगरा
   निवासी–नाडोल, तहसील–देसूरी जिला–पाली
2. सतीश पुत्र रामलाल आयु–वयस्क जाति मेघवाल
   निवासी–नारलाई तहसील–देसूरी जिला–पाली
3. हीराराम पुत्र पूराराम आयु–वयस्क जाति–सरगरा
   निवासी–नाडोल, तहसील–देसूरी, जिला–पाली

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, देसूरी

–:प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 :–

उपस्थिति:–

1. श्री दिलीप कुमार व्यास अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री कैलाश ईणानिया तहसीलदार देसूरी सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :– 30/9/2022**

1– प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए की उपधारा (1) के अधीन अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये नया रास्ता लेने हेतु प्रार्थना प्रत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थीगण ने अपने आवेदन के साथ ग्राम–नारलाई पटवार मण्डल नारलाई के खसरा नम्बर 2818/1289 क्षेत्रफल 0.53 हेक्टर किस्म बारानी सोयम जमाबंदी सम्वत् 2073–76, नक्शा ट्रेस, प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम नारलाई पटवार मण्डल नारलाई के खसरा नम्बर 2818/1289 क्षेत्रफल 0.53 हेक्टर किस्म बारानी सोयम में आने जाने के लिए (रास्ते की भूमि) 30 फीट चौडा एवं पूरी लम्बाई में (जिसका जितना क्षेत्रफल बने) रास्ते हेतु नक्शे में लाल स्याही से दर्शित अनुसार राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1286 रकबा 8.05 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 1284 रकबा 3.38 हेक्टर में से रास्ते की मांग की गई है।

3– प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर [illegible] जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी से मौका [illegible] रिपोर्ट भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2022/377 दिनांक [illegible].08.2022 को लिखा गया। तहसीलदार देसूरी से दिनांक 19.09.2022 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:31:55 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

4–अप्रार्थी (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी द्वारा उनके पत्रांक/राजस्व/2022/1602 दिनाक 19.09.2022 के जरिये पटवार हल्का नारलाई व भू.अ.नि देसूरी से प्रस्तावित रास्ते की मौका जांच कराई जाकर मौका फर्द, नक्शा ट्रेस, के प्रस्तावित रास्ते की अनुशंषा के साथ जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है।

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में ग्राम नारलाई की खातेदारी कृषि भूमि में खसरा नम्बर 2818/1289 क्षेत्रफल 0.53 हेक्टर किस्म बारानी सोयम भूमि में आवगमन के लिए पडौस स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1286 रकबा 8.05 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 1284 रकबा 3.38 हेक्टर मे से रास्ते की मांग की है।
2. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मे दर्शाए नक्शे में मौका निरीक्षण में पाया गया कि प्रार्थी द्वारा मांगे गये रास्ते अतिरिक्त आने–जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।
3. प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 1286 रकबा 8.05 हेक्टर मे से 132 मीटर लम्बा एवं 9.15 मीटर चौडा क्षेत्रफल **132 x 9.15 =** 1207.8 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 1284 रकबा 3.38 मे से 120 मीटर लम्बा एवं 9.15 मीटर चौडा क्षेत्रफल 120 x 9.15 =1098 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 2306 वर्गमीटर बनता है जो दिया जाना उचित है।
4. उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि पंजीयन बाजार दर से रास्ते का रकबा 2305.8 वर्गमीटर की राशि रूपये 89260/– बनती है जिसकी डबल राशि रूपये 178520/– बनती है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी की ओर (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी ने अपनी जांच रिपोर्ट में जाहिर किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी में आने जाने के लिये अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 1286 रकबा 8.05 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 1284 रकबा 3.38 मे से क्रमशः 132 मीटर लम्बा एवं 9.15 मीटर चौडा एवं 120 मीटर लम्बा एवं 9.15 मीटर चौडा रास्ता दिया जाना उचित है।

6– न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी में आने जाने के लिये एक मात्र रास्ता खसरा नम्बर 1286 रकबा 8.05 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 1284 रकबा 3.38 में से ही हैं। अतः न्यायालय की राय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रस्तुत स्वीकार किया जाना उचित है अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:31:55 IST
Reason: SelfAttested

7– तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट, नक्शा, मौका फर्द, एवं पत्रावली को अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम नारलाई पटवार मण्डल नारलाई खसरा नम्बर 2818/1289 कुल रकबा 0.53 हेक्टर किस्म बारानी सोयम भूमि में आने जाने हेतु प्रार्थी की मांग अनुसार राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1286 रकबा 8.05 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 1284 रकबा

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

3.38 में से क्रमशः 132 मीटर लम्बा एवं 9.15 मीटर चौडा क्षेत्रफल 132 x 9.15 = 1207.8 वर्गमीटर एवं 120 मीटर लम्बा एवं 9.15 मीटर चौडा क्षेत्रफल 120 x 9.15 =1098 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 2306 वर्ग मीटर रास्ता दिया जाना उचित है इस हेतु प्रार्थी को 178520/- रूपये का अनुदान भुगतान जरिये चालान के राजकोष में जमा करना होगा।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देसूरी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी से 2306 वर्गमीटर रास्ते के परिपेक्ष्य में डी.एल.सी. दर अनुसार प्रस्तावित रास्ते की राशि अनुदान रूपये 178520/- प्रार्थी से जरिये चालान के राजकोष में जमा करवाई जाकर। प्रार्थी को खातेदारी भूमि ग्राम नारलाई पटवार मण्डल नारलाई के खसरा नम्बर 2818/1289 कुल रकबा 0.53 हेक्टर भूमि किस्म बारानी सोयम में आने जाने हेतु राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1286 रकबा 8.05 हेक्टर में से 132 मीटर लम्बा एवं 9.15 मीटर चौडा क्षेत्रफल 132 x 9.15 = 1207.8 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 1284 रकबा 3.38 हेक्टर में से 120 मीटर लम्बा एवं 9.15 मीटर चौडा क्षेत्रफल 120 x 9.15 = 1098 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 2306 वर्गमीटर रास्ता दिया जाकर एवं राशि राजकोष में जमा होने के बाद ही रास्ते का समस्त रिकॉर्ड में अमल दरामद, नक्शे में तरमीम किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर (एस डी ओ) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:31:55 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 30/9/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर (एस डी ओ) देसूरी (पाली)